न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— 41/**2020** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती कालकी पुत्री पदमा मीणा निवासी—धोलिया, उपला फलां (मोती बड़ला) हाल निवासी—गुन्दलों की भागल, तहसील—लसाडिया, जिला—उदयपुर
2. श्रीमती चोखली पुत्री पदमा मीणा निवासी—धोलिया, उपला फलां (मोती बड़ला) हाल निवासी—गुन्दलों की भागल, तहसील—लसाडिया, जिला—उदयपुर

.....अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री खानिया पिता परथा मीणा निवासी—धोलिया, उपला फलां (मोती बड़ला) तहसील—लसाडिया, जिला—उदयपुर
2. स्व. भगा पिता साचिया मीणा निवासी—धोलिया, उपला फलां (मोती बड़ला) तहसील—लसाडिया, जिला—उदयपुर के बजायः—
   - 2/1. लोगर पिता स्व. भगा मीणा निवासी—धोलिया, उपला फलां (मोती बड़ला) तहसील—लसाडिया, जिला—उदयपुर
   - 2/2. कालु पिता स्व. भगा मीणा निवासी—धोलिया, उपला फलां (मोती बड़ला) तहसील—लसाडिया, जिला—उदयपुर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उपतहसीलदार लसाडिया, उदयपुर

.....विपक्षीगण

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 1081 न्यायालय उपतहसीलदार लसाड़िया, निर्णय दिनांक 12.07.1998 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः
1. श्री ललित जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 व 2/2

निर्णय

दिनांकः—14.11.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा धोलिया पटवार हल्का धोलिया भू—अभिलेख क्षेत्र कूण तहसील लसाड़िया जिला उदयपुर में पदमा पिता

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested

नाया मीणा के स्वामित्व एवं आधिपत्य के किता 16 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, पदमा की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का इन्तकाल खुला जो उनकी पत्नी देलकी के नाम का खुला। देलकी की अपीलाण्टगण जायन्दा पुत्रिया होकर विधिक वारिसान है, इसके अलावा देलकी की ओर कोई जायन्दा संतान नहीं है, फिर भी जब देलकी का देहवसान हुआ तो रेस्पोडेंट ने पटवारी हल्का धोलिया से मिलकर विरासत से जो इन्तकाल खुलवाया उसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 मृतक भगा पिता साचिया ने अपने नाम से देलकी के पुत्र बताकर नामान्तकरण खुलवाया। अपीलाण्ट श्रीमती देलकी के उत्तराधिकारी होते हुए भी उनके नाम पर नामान्तरकरण नहीं खोला गया व रेस्पोडेंट ने वादग्रस्त जमीन में अपने आपको देलकी का पुत्र बताकर विरासत से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया, जबकि रेस्पोडेंट देलकी के पुत्र नहीं होकर खानिया परथा का तथा भगा साचिया का पुत्र है। अपीलाण्टगण देलकी के विधिक वारिसान होने से जमीन पर कब्जा अपीलाण्टगण का चला आ रहा है तथा इस तथ्य को छिपा दिया गया कि अपीलाण्टगण श्रीमती देलकी के विधिक वारिसान है और रेस्पोडेंट ने अपने आपको देलकी के विधिक वारिसान बताकर नामान्तरकरण स्वीकार करा लिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है। पटवार हलक धोलिया ने पदमा और श्रीमती देलकी पत्नी पदमा के वारिसान की जांच किये बिना, उनके संबंध में बिना पुख्ता जानकारी लिये पूछताछ किये बिना जैसा रेस्पोडेंट ने नामान्तरकरण भरवाया उसे पटवारी हल्का ने भरकर इस्पेंक्टर से जांच रिपोर्ट करवाकर कथित नामान्तरकरण करवाकर उप तहसीलदार से स्वीकृत करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस मामले में कोई जांच किये बिना ही जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। नामान्तरकरण ग्राम पंचायत धोलिया के समक्ष पेश होना चाहिये था, परन्तु पटवारी हल्का ने ग्राम पंचायत के समक्ष कभी भी नामान्तरकरण पेश नहीं कर सीधे ही उपतहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया। कथित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्टगण को न कोई सूचना ही दी, न ही अपीलाण्टगण को सुना ही गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने ही जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested

विपरित होकर काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत का वास्तविक सजरा दिये बिना एवं रेस्पोडेंट के कथनानुसार नामान्तरकरण पास कर दिया परन्तु जब परथा एवं साचिया जो रेस्पोडेंट के वास्तविक पिता थे उनका देहान्त हुआ तो विरासत जो नामान्तरकरण खुला उसमें पटवारी ने सजरा इत्यादी बनाकर रेस्पाडेंट के नाम भी जमीन का नामान्तरकरण विरासत से खोला, उक्त नामान्तरकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने आपको परथा व साचिया के जायन्दा पुत्र बताकर अपने नाम पर विरासत का इन्तकाल खुलवाया इससे भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने पूर्व में अपने आप को देलकी पत्नी पदमा का जायन्दा पुत्र बताकर उनके हक हिस्से का जो नामान्तरकरण बिना अधिकार के खुलवाया है वह गलत होकर एबइनिश्योवोइड है। कथित आदेश का ज्ञान अपीलाण्टगण को हाल ही में हुआ जब रेस्पोडेंट ने अपीलाण्टगण को कब्जा हटाने के लिए कहा यह जमीन तो हमारे खाते की है तथा आपका इस जमीन से कोई संबंध नहीं है, इस बात का ज्ञान होने ही नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल मिलने पर यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, लसाडिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1081 निरस्त फरमाया जाकर विवादग्रस्त जमीन अपीलाण्टगण के खाते दर्ज करायी जाने एवं रेस्पोडेंटगण के नाम गलत अंकन को हटाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा जो अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की है, उक्त अपील का यदि आप न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो हम रेस्पोडेंट को किसी प्रकार का कोई उजर, एतराज नहीं है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1081 सहवन से हम रेस्पोडेंटगण के नाम से खुल गया है, जबकि वास्तविकता में उक्त नामान्तरकरण संख्या 1081 अपीलाण्टगण के नाम से खुलना चाहिए था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नामान्तरकरण संख्या 1081 दिनांक 12.07.1998 जो उपतहसीलदार लसाड़िया द्वारा खोला गया है, उसको निरस्त फरमा अपीलाण्टगण के नाम से नामान्तरकरण खोला जावे तो हम रेस्पोडेंटगण को किसी प्रकार का कोई उजर, ऐतराज नहीं है। उक्त नामान्तरकरण बाबत् हम रेस्पोडेंटगण ने अपीलाण्टगण के पक्ष में एक समझौता पत्र भी अलग से निष्पादित कर दिया है। रेस्पोडेंटगण, अपीलाण्टगण के साथ लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त अपील में भी राजीनामा करना चाहते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त राजीनाम/सहमति के जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षीगण के जवाब से स्पष्ट है उपतहसीलदार बारापाल द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1081 दिनांक 12.07.1998 सहवन से अपीलाण्टगण के नाम पर नहीं खुलकर रेस्पोडेंटगण के नाम से खुल गया है। अतः अपील अपीलाण्टगण स्वीकार फरमायी जाकर प्रकरण तहसीलदार लसाड़िया को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि मौजा धोलिया पटवार हल्का धोलिया तहसील लसाड़िया के नामान्तरकरण संख्या 1081 दिनांक 12.07.1998 को निरस्त कर मूल खातेदार के विधिक वारिसानों की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested